



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2014/श्रावण 17, 1936

No. 411]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2014/SHRAVANA 17, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2014

सं. 37/2014-सीमा-शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 571(अ).—जबकि नामित प्राधिकारी ने दिनांक 23 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड-(1) में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सं.15/1009/2012-डीजीएडी, के अंतर्गत यूरोपियन संघ (यहां जिसे विषयगत देश के रूप में संदर्भित किया गया है) से मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यात किए गए “सोडियम नाइट्राइट” (यहां जिन्हें विषयगत वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया गया है) जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे यहां उपर्युक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची में शीर्ष 2834 के अंतर्गत आते हैं, के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 11 अप्रैल, 2008 को सा.का.नि. सं. 284 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. 49/2008-सीमा-शुल्क के अंतर्गत लागू किया गया था, को बनाए रखने के मामले की समीक्षा शुरू की थी।

और जबकि केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र के असाधारण, भाग- II, खंड-3, उपखंड (i) में दिनांक 10 अप्रैल, 2013 को सा.का.नि. सं. 214 (अ) के अंतर्गत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 अप्रैल, 2013 की अधिसूचना सं. 4/2013- सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा, 10 अप्रैल, 2014 तक विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की गई विषयगत वस्तुओं पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को बनाए रखा था।

और जबकि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में पद नामित पदाधिकारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- I, खंड-1, में दिनांक 12 मई, 2014 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्ष सं. 15/1009/2012-डीजीएडी के अंतर्गत निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

- (i) विचाराधीन उत्पाद का विषयगत देश से पाटित कीमतों पर आयात जारी रहेगा;
- (ii) घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति सहन करनी पड़ी;
- (iii) यदि विषयगत देश से पाटनरोधी शुल्क वापस लिया जाता है तो घरेलू उद्योग को विषयगत माल के पाटन के कारण क्षति के जारी रहने की संभावना है।

और यह सिफारिश की है कि विषयगत देश में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की जाने वाली विषयगत वस्तुओं के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए;

इसलिए अब सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान, उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर एतद्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप-शीर्ष के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्भूत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कॉलम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है।

सारणी

क्र.स.	उप.शीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	283410	सोडियम नाइट्राइट	यूरोपियन संघ	यूरोपियन संघ	कोई	कोई	3.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
2.	283410	सोडियम नाइट्राइट	यूरोपियन संघ	विषयगत देश के अलावा अन्य कोई देश	कोई	कोई	3.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर
3.	283410	सोडियम नाइट्राइट	विषयगत देश के अलावा अन्य कोई देश	यूरोपियन संघ	कोई	कोई	3.00	मीट्रिक टन	अमरीकी डालर

2. लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक (जब तक कि इसके पहले इसको वापस नहीं ले लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है और इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है) उद्गृहीत किया जाएगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाना होगा।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के आशय से, ऐसे प्रतिपादन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू “विनिमय दर” वहीं होगी जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी।

[फा.सं. 354/24/2002-टीआरयू(भाग- I)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2014

No. 37 /2014-Customs (ADD)

G.S.R. 571(E).—Whereas, the designated authority, *vide* notification No. 15/1009/2012-DGAD, dated 23rd March, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, had initiated a review in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of sodium nitrite (hereinafter referred to as subject goods) falling under heading 2834 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from the European Union (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 49/2008-Customs, dated the 11th April, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 284 (E), dated the 11th April, 2008;

And whereas, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from the subject country upto and inclusive of the 10th April, 2014 *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2013-Customs (ADD), dated the 10th April, 2013, published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R 214 (E), dated the 10th April, 2013;

And whereas, in the matter of review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating in or exported from the subject country, the designated authority in its final findings, published *vide* notification No. 15/1009/2012-DGAD, dated 12th May, 2014, in Part I, Section 1 of the Gazette of India, Extraordinary, has come to the conclusion that-

- (i) the product under consideration continues to be imported at the dumped prices from the subject country;
- (ii) the domestic industry continues to suffer material injury on account of dumped imports;
- (iii) the material injury to the domestic industry on account of dumping of subject goods is likely to continue if the anti dumping duties from subject country are revoked,

and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported from subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes

on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the sub-heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), exported by the exporters as specified in the corresponding entry in column (7), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (8) in the currency as specified in the corresponding entry in column (10) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9), of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No	Sub-heading	Description	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2834 10	Sodium Nitrite	European Union	European Union	Any	Any	3.00	MT	US Dollar
2.	2834 10	Sodium Nitrite	European Union	Any country other than subject country	Any	Any	3.00	MT	US Dollar
3.	2834 10	Sodium Nitrite	Any country other than subject country	European Union	Any	Any	3.00	MT	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be paid in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under Section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/24/2002-TRU (Pt.-I)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.